न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 136/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/242**
दायर दिनांक :– 22.07.2022 **निर्णय दिनांक :– 15.04.2025**

1. गेम्परराम पुत्र बींजाराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील बाप जिला फलोदी
2. बजरंगराम पुत्र बींजाराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील बाप जिला फलोदी
3. अशोक कुमार पुत्र बीजाराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील बाप जिला फलोदी
4. बींजाराम पुत्र अनाराम बहैसिय स्वयं व वादी संख्या 3 अशोक कुमार नाबालिग जरिये संरक्षक वली पिता बींजाराम पुत्र अनाराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर फलोदी अध्यक्ष मनरेगा कार्यक्रम बाप
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. जोगेन्द्रसिंह पुत्र भोमसिंह जाति राजपूत निवासी उदट तहसील बाप जिला फलोदी
4. शैतानाराम पुत्र केवलराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमे वर्णित अभिवचनों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया दावा प्राार्थीगण के पक्ष में है सुविध का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त दावा में प्रार्थीगण को पूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अन्य की संयुक्त कदिमी पैतृक कब्जा सुदा खातेदारी की काश्त भूमि ग्राम उदट तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 172 रकबा 4.5568 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172/1 रकबा 13.6703 हैक्टेयर की आयी हुई है। इसी प्रकार प्रार्थीगण का खातेदारी अधिकारो की कब्जा काश्त भूमि खसरा नम्बर 172/3 रकबा 5.3095 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 172/6 रकबा 4.5487 हैक्टेयर आयी हुई है। प्रार्थीगण की भूमि के चिपता चिपत खसरा नम्बर 173 सरकारी कटाण मार्ग की भूमि स्थित है। उक्त कटाण मार्ग मौके पर चालू है जिस पर प्रार्थीगण पिढियों से चले आ रहे है तथा वर्तमान में उक्त चालू मार्ग का उपयोग व उपभोग ग्राम उदट के लोग करते आ रहे है। उक्त मार्ग अपनी सही जगह पर स्थापित है। उक्त मार्ग के एक तरह प्रार्थीगण एंव अन्य की खातेदारी भूमि है तथा दूसरी तरह अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 की खातेदारी भूमि है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 173 सरकारी कटाण मार्ग पर अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा मनरेगा कार्यक्रम के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के साथ सांठ गांठ कर उक्त कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 173 की वर्तमान भूमि को छोड़कर जानबुझकर प्रार्थीगण की

15/4/25
कलक्टर
दी)

खातेदारी भूमि को नष्ट करने के उदेश्य से प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि में से उक्त कटाण मार्ग की आड में ग्रेवल सडक का निर्माण कार्य संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ? से बी के अनुसार करने पर आमदा है। अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 173 सरकारी कटाण मार्ग की विधिवत पैमाईश करवाये बिना प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा शुदा भूमि में से ग्रेवल सडक का निर्माण मनरेगा कार्य के तहत न तो स्वय करावे और न किसी अन्य से करवावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर गिरदावर की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 3 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह भीलवी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि यादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण अन्य खातेदारों के नाम खातेदारी की राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य यादग्रस्त भूमि को लेकर स्थायी निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का वाद विचाराधीन है। यादग्रस्त भूमि में अभिलेख दुरूस्ती का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही तय किया जाना है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-आदेश-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई आदेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का जारी किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम उदट के खसरा नम्बर 172 रकबा 4.5888 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172/1 रकबा 13.6703 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172/3 रकबा 5.3096 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 172/6 रकबा 4.5487 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)